राष्ट्र के सेवा में 252 वर्षों से अधिक
252 YEARS IN THE SERVICE TO THE NATION
भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

निदेशक का कार्यालय
Office of the Director
बिहार भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र
Bihar Geo-spatial Data Centre
सातवीं मंजिल (ब्लाक 'ए', 'एफ' एवं 'जी')
कर्पूरी ठाकुर सदन, केन्द्रीय कार्यालय परिसर
7th Floor, (Block 'A', 'F' & 'G')
Karpuri Thakur Sadan, Kendriya Karyalay Parisar
आशियाना-दीघा रोड, पटना - 800025 (बिहार)
Ashiyana-Digha Road, Patna-800025 (BIHAR)

दूरभाष/Telephone : 0612-2565756
प्रतिकृति/Fax : 0612-2565265
ई-मेल/Email : bihar.gdc.soi@gov.in

बिहार भू–स्थानिक ऑकडा केन्द्र नेमी आदेश सं0 07 /37–जी–6, दिनांक 17 /11/2021 ।

1. **नियुक्तिः–** **ग्रुप "सी" स्थापना में एम0टी0एस0 के पद पर नियुक्तिः–**

इस कार्यालय में कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती निम्नलिखित कर्मचारी जिनका विवरण निचे दर्शाया गया है, को एम0टी0एस0 (अस्थायी ग्रुप "सी" स्थापना) के पद पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग, बिहार भू–स्थानिक ऑकड़ा केन्द्र, पटना में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से 28–02–2022 तक या ऐसे समय के लिए जब तक उनकी सेवाओं की आवश्यकता हो वेतन लेवल–1 (18000–56900) के वेतनमान में रू0 18000 प्रति माह एवं केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय अन्य भत्तों के अनुसार एतद् द्वारा नियमित आधार पर नियुक्त किया गयाः–

कम सं0	नाम	जन्म तिथि	वर्ग / कैटोगरी	शैक्षणिक योग्यता	पद जिसपर नियुक्त किया गया	नियुक्ति की तिथि	टिप्पणी
1	श्री अमित कुमार सिंह पुत्र श्री पप्पु प्रसाद सिंह	29/11/1992	OBC	B.Com.	MTS	13/10/21	

प्राधिकारः– **भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय के पत्र सं0 स्था–3–169/1011–एम0टी0एस0 दिनांक 25/06/2021 ।**

उपरोक्त कर्मचारी की चिकित्सा जॉच सक्षम अधिकारी द्वारा की जा चुकी है तथा सरकारी सेवा के योग्य पाया गया ।

1. उपरोक्त कर्मचारी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन संबंधित जिलाधिकारी को भेजा जा चुका है और रिपोर्ट अभी इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है । यदि जॉच में कोई कमी पायी गई तो कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी ।
2. उपरोक्त कर्मचारी का जाति प्रमाण–पत्र का सत्यापन कराने हेतु सक्षम अधिकारी को भेजा जा रहा है, यदि जॉच में कोई कमी पाई गई तो कर्मचारी की नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी ।
3. एम0टी0एस0 में नए विभागीय भर्ती नियमानुसार उक्त कर्मचारी नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों के लिए प्रोबेशन पीरियड पर रहेंगे ।
4. उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा ।
5. इनमें होने वाला अतिरिक्त व्यय इस केन्द्र के वर्ष 2021–2022 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान से पुरा किया जाएगा और उचित लेखा शीर्ष नामें डाला जाएगा ।

2. **त्याग–पत्र–** **ग्रुप "सी" एम0टी0एस0 के पद से त्यागपत्रः–**

श्री राजीव कुमार पुत्र श्री राम कुमार प्रसाद ने दिनांक 22/10/2021 (पूर्वाह्न) को MTS के पद पर नियुक्ति हेतु योगदान दिया तथा 22/10/2021 (अपरान्ह) को ही स्वेच्छा से त्याग–पत्र दे दिया, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है ।

प्राधिकारः– **निदेशक, बिहार जी0डी0सी0 का पत्रांक 1667/4–ए (राजीव कुमार) दिनांक 29/10/2021 ।**

कृ.पृ.प.

3. रोकड़िया को नगदी संभालने का भत्ता **(CASH HANDLING ALLOWANCE TO CASHIER)**

भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली के पत्र संख्या 14/3/78–SMP-1, दिनांक 28.03.1978 और भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेन्शन मंत्रालय, नई दिल्ली (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/6/2008–स्थापना(वेतन–II) दिनांक 01.10.2008 एवं कार्यालय ज्ञापन सं.4/6/2017–Estt.(Pay-II) दिनांक 18.01.2019 के अनुसार निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये विवरणानुसार रोकड़िया का कार्य करने के लिए नकदी वितरण भत्ता स्वीकृत किया जाता है:–

क्रम सं.	नाम एवं पदनाम	अवधि	भत्ते की राशि	भुगतान होने वाली औसत राशि
1.	श्री अरूण कुमार विश्वास, सहायक	23/09/2021 से 31/03/2022	रू. 700/– प्रति माह	रू. 64340/–

इनमें होने वाला अतिरिक्त व्यय इस केन्द्र के वर्ष 2021–2022 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान से पुरा किया जाएगा और उचित लेखा शीर्ष नामें डाला जाएगा ।

(आशीष कौशल)
निदेशक
बिहार जी.डी.सी.,पटना

वितरण:–

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ । ई–मेल द्वारा
2. अपर महासर्वेक्षक, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता को सूचनार्थ । ई–मेल द्वारा
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, कोलकाता को सूचनार्थ । ई–मेल द्वारा
4. प्रभारी, विभागीय वेबसाईट, द्वारा भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को ई–मेल (admn.soi@gov.in) के माध्यम से विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु ।
5. अनुभाग प्रभारी, पत्राचार अनुभाग(बि.भू.ऑ.के.)/लेखा अनुभाग(बि.भू.ऑ.के.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. अनुभाग प्रभारी, गोपनीय अनुभाग(बि.भू.ऑ.के.) को सूचनार्थे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. गार्ड फाईल ।